

फर्द अहकाम

(विषय 76)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय दोसा
 सरकार बनाम उपखण्ड अधिकारी / परिशोध
 मुकदमा मु० नं० 151, 152, 153 का डी 11/20

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>फिरा आने का काउन्सिल, डिमा आला हो इस काउन्सिल को निर्दिष्ट का मांग माना जाये व सेशोधन कर्मिक डिमा पारित की जाती है। निर्दिष्ट लिखा जाता है। प्रवाक्की प्रत्यक्ष क्षेत्र खबर से उक्त ह) इफ्तार दायित्व हो।</p> <p><u>12.2.24.</u></p> <p>प्रवाक्की प्रक नपड 151, 152, 153 पर पेय डर / प्रवाक्की का क्वलोन डिमा आला / कस्य का मरु डिमा आला।</p> <p>कतः कारागी क्व नं. 368 का रकबा 2 वीं भा 15 बिस्वा ड स्वान पर ख. नं. 368 का रकबा 5 वीं भा 11 बिस्वा व कारागी ख. नं. 359 रकबा 17 बिस्वा का काया बिस्वा इलिकी रकबा 8 1/2 बिस्वा का सेशोधन डिमा माना - पारोचित प्रतीत होला हो</p> <p>कतः काउन्सिल डिमा आला हो से निर्दिष्ट डिमा में ख. नं. 368 रकबा 5 वीं भा 11 बिस्वा व ख. नं. 359 रकबा 17 बिस्वा का काया बिस्वा इलिकी 8 1/2 बिस्वा का सेशोधन डिमा आने का काउन्सिल डिमा आला हो इस काउन्सिल को निर्दिष्ट का मांग माना जाये व सेशोधन कर्मिक डिमा पारित की जाती है। निर्दिष्ट लिखा जाता है। प्रवाक्की प्रक नपड 151, 152, 153 का डी 11/20</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी सिकराय जित्त-दोसा</p>

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जित्त-दोसा